

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुर

कमल नगर

बनाम एन.एस.

किस्म मुकदमा

223 PTA

प्रकरण सं.

6/25

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/3/26	पत्रावली पेश 58/ उभय पक्ष आदि/ वाले पूरा पत्रावली बंद कर के बाद 27/3/26 को पेश के
27/3/26	पत्रावली पेश हुकी / उभय पक्ष 340/ उतः बफस हुकी मानी / पत्रावली वाले कादेश क्रिक 30/3/26 को पेश हो
30/3/26	<p>पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन कर अध्यापक छिपा गया। कृष्ण विद्वान अभिशाषक उभय पक्ष की शर्चना-पत्र म्याद-अधिनियम धारा-5 पर भनन छिपा गया। शर्चना-पत्र म्याद 3 बिन के पैरा-12 में जो ब्याज विलम्ब हेतु अंकेन छिपा गया है उसके समर्पन में कोई होल प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली कादेशिका से स्पष्ट है कि प्रथी वक्त वहल न्यायालय (अधीनस्थ) में उपस्थित था तथा न्यायालय ने आदेश भी उसी दिन पारित कर दिया था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 10.12.24 से पारित होने की जानकारी देने के बावजूद भी लगभग 6 माह बाद नकलें प्रेष कर अपील हेतु 10.12.24 से 14.5.25 तक की अवधि की विलम्ब प्राप्ति जारी जारी है।</p> <p>" limitation period for any appeal commences from the pronouncement of the judgement and party can't insist that the limitation only starts from the date of receiving copy of the judgement."</p> <p>यह जाणित है कि अधीन पेश करने में जो विलम्ब हुआ है जो अपीलान की लापरवाही के कारण से हुआ है। अपीलान इस विलम्ब में</p>

अति.जिला कलक्टर शाहपुर

अति.जिला कलक्टर शाहपुर

शाहपुर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

बनाम.....

केस मुकदमा..... प्रकरण सं..... सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
	<p>अ/उ/प्रपक्षि बनाम / तैस ज्ञाण प्रस्तुत काने में नामाभियात रहा हूँ।</p> <p>कारण: उक्त विवेचन कानुनार कपील कपीलार कथाद बाहर होने से कानुनीयार बहर खोरिग की जाती है निर्णय-पक्ष से लिखा जाकर शा. पत्रा. हो। पत्रावली केलस भुगार हो नकर से कम की जाकर सम्पिल दफतर हो।</p> <p>गया/प्रिम निर्णय लिखा जाकर वरै इजलास दुनामा</p> <p>अति.जिला कलक्टर शाहपुरा</p>	